जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

क्रमांक. जेपीडी/प्रबंध निदेशक/एमआईएस/प्रे. 170 जयपुर, दिनांक:17.10.2014

कार्यालय आदेश

भारत सरकार व राजस्थान सरकार ने संयुक्त रूप से राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों मे शहरी क्षेत्रों के समान ही बिना व्यवधान सभी को 24X7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए 5 वर्षीय योजना तैयार की है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में अविद्युतीकृत ढाणियों को आरजीजीवीवाई के अन्तर्गत विद्युतीकृत करने की योजनाऐ , वितरण तंत्र का सुदृढ़ीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी का समावेश, ऊर्जा दक्ष विद्युत उपकरणों को प्रोत्साहन, उत्कृष्ट उपभोक्ता सेवाऐं प्रदान करना एवं ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विद्युत से वंचित आवासों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना इत्यादि कार्य शामिल है। इस योजना में विभिन्न कार्यो के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग व सूचनाऐं संकलित करनें हेतु निम्न अधिकारियों को प्रभारी नियुक्त किया जाता है।

क्रमांक	योजना	प्रभारी अधिकारी
1	फीडर इम्प्रूवमैंट प्रोग्राम	अधीक्षण अभियन्ता (प्लान)
2	सब–स्टेशन इम्प्रूवमैंट प्रोग्राम	अधीक्षण अभियन्ता (प्लान)
3	आर–एपीडीआरपी – पार्ट ए :सूचना प्रौद्योगिकी का समावेश	संभागीय मुख्य अभियन्ता, जयपुर (आई.टी.शाखा के प्रभारी)
4	आर–एपीडीआरपी – पार्ट बी : शहरी क्षेत्रों में वितरण तंत्र का सुदृढ़ीकरण	अधीक्षण अभियन्ता (टी डब्ल्यू)
5	आरजीजीवीवाई – 12वीं योजना अवधि में स्वीकृत 100 से अधिक आबादी वाली ढाणियों के विद्युतीकरण की योजनाऐं	अधीक्षण अभियन्ता (आरई)
6	अविद्युतीकृत आवासों की पहचान कर विद्युतीकरण की योजना तैयार करना	अधीक्षण अभियन्ता (आरई)
7	2000 से अधिक आबादी वाले एवं 33 के.वी. सब–स्टेशन के निकटतम गांवों को थ्री फेज विद्युत आपूर्ति करने की योजना	अधीक्षण अभियन्ता (प्लान)
8	24 घंटे विद्युत आपूर्ति हेतु नये 33 के.वी. सब–स्टेशनों का निर्माण	अधीक्षण अभियन्ता (प्लान)
9	ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत छीजत कम करने की योजना	संभागीय मुख्य अभियन्ता
10	शहरी क्षेत्रों में विद्युत छीजत कम करने की योजना	संभागीय मुख्य अभियन्ता
11	गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हेतु समयपूर्व (प्रिवैन्टिव) वितरण तंत्र के रखरखाव की व्यवस्था	संभागीय मुख्य अभियन्ता
12	आधुनिक तकनीकी समावेश द्वारा उपभोक्ता सेवा, वितरण तंत्र का प्रबंधन, विद्युत व्यवधानों में कमी व आपूर्ति में निरंतरता, समुचित संचार तंत्र की स्थापना एवं केन्द्रीकृत नियंत्रण प्रणाली की स्थापना इत्यादि	मुख्य अभियन्ता (आईटी)
13	बिलिंग व राजस्व संग्रहण क्षमता में वृद्धि	मुख्य लेखाधिकारी (नियंत्रण)

क्रमांक	योजना	प्रभारी अधिकारी
14	संस्थापन, रखरखाव एवं अन्य खर्चो में कमी लाना	मुख्य लेखाधिकारी (एफएम एवं मार्गोपाय)
15	विद्युत खरीद की दरों में कमी लाना तथा विद्युत उपलब्धता एवं आपूर्ति प्रबंधन	मुख्य अभियन्ता (आरडीपीपीसी)
16	कृषि, घरेलू क्षेत्र एवं वाणिज्य भवनों में ऊर्जा दक्ष विद्युत उपकरणों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन	मुख्य अभियन्ता (सीपीएल)
17	एस.ओ.पी के अनुरूप उपभोक्ता सेवाओं एवं समस्याओं का समय पर निष्पादन	संभागीय मुख्य अभियन्ता
18	वितरण निगमों की वित्तीय स्थिति के सुधार हेतु वित्तीय पुर्नसंरचना योजना (एफ.आर.पी.) की क्रियान्विति	मुख्य लेखाधिकारी (एफएम एवं मार्गोपाय)

निगम स्तर पर **"24X7 विद्युत आपूर्ति सभी के लिए योजना"** की क्रियान्विति की मॉनिटरिंग मुख्य अभियन्ता (सीपीएल) द्वारा की जावेगी जो कि निगम स्तर पर इस योजना के क्रियान्विति हेतु प्रभारी अधिकारी होगें व प्रगति से निदेशक (तकनीकी/वित्त) एवं प्रबंध निदेशक को अवगत करवायेगें तथा राज्य सरकार व भारत सरकार को आवश्यक सूचनाऐं एवं प्रगति समय पर उपलब्ध कराने हेतु अधीक्षण अभियन्ता (एमआईएस) को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगें। उपरोक्त सभी प्रभारी अधिकारी एक सप्ताह में विस्तृत कार्य योजना रोड मैप सहित बनाकर निगम स्तरीय प्रभारी अधिकारी को भेजा जाना सुनिश्चित करेगें। प्रभारी अधिकारी पदार्थ प्रबंधन हेतु आवश्यक सामग्री की सूची रोड मैप अनुरूप मुख्य अभियन्ता (एमएम), जयपुर को दिनांक 31.10.2014 तक भेजा जाना सुनिश्चित करेगें।

(बी.के.दोसी)
प्रबंध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित है :--

1. निदेशक (वित्त/तकनीकी/पीटी),जयपुर डिस्कॉम,जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (सीपीएल/ आरई–एमएण्डपी/आरडीपीपीसी/एमएम), जयपुर डिस्कॉम,जयपुर।
3. संभागीय मुख्य अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम, ... को अधिनस्थ सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देशन हेतु।
4. अधीक्षण अभियन्ता (प्लान/आरई/आई.टी./टी.डब्ल्यू), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता– प्रावैधिक सहायक, अध्यक्ष डिस्कॉम्स, जयपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी (एफएम एवं मार्गोपाय/नियंत्रण/आईए), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
7. प्रावैधिक सहायक –प्रबंध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।

नोट: "24X7 विद्युत आपूर्ति सभी के लिए योजना" की प्रति ईमेल द्वारा भेजी जा रही है।

(टी.एस.शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (एमआईएस)